mail

मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड
किसान भवन 26, अरेरा हिल्स, भोपाल

ई-मेल आईडी - niyaman.mpsamb@gmail.com

क्रमांक/बोर्ड/नियमन/उपविधि संशो./580 भोपाल, दिनांक 21/10/2024

प्रति,

संयुक्त संचालक
मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड
आंचलिक कार्यालय ....(समस्त)।

विषयः- अधिसूचित कृषि उपज के वजन/मात्रा में समायोजन के संबंध में ।

उपरोक्त विषय में लेख है कि अधिसूचित कृषि उपज के वजन/मात्रा में Cleaning उपरांत वजन/मात्रा में कमी तथा भंडारण उपरांत वजन/मात्रा में कमी/वृद्धि के ई-अनुज्ञा पोर्टल/ई-मंडी पोर्टल पर स्टॉक समायोजन के संबंध में निम्नानुसार कार्यवाही किए जाने पर विचार किया जा रहा है :-

1. उपरोक्त दोनों परिस्थितियों में वजन मात्रा में कमी/वृद्धि को पोर्टल पर अपडेट करने के लिये संबंधित व्यापारी, अपने लॉग इन से ऑनलाईन आवेदन प्रस्तुत करेंगे। इसके लिये पोर्टल पर विकल्प उपलब्ध कराया जाएगा।
2. व्यापारी के आवेदन पर मंडी सचिव, प्रांगण प्रभारी अथवा अन्य अधिकारी के माध्यम से भौतिक सत्यापन की रिपोर्ट प्राप्त कर वजन/मात्रा में कमी/वृद्धि की व्यापारी द्वारा दर्ज की गई प्रविष्टि का सत्यापन करेंगे। इसके लिये पोर्टल पर विकल्प उपलब्ध कराया जाएगा।
3. मंडी सचिव द्वारा सत्यापन की समय-सीमा दो दिवस रखी जाएगी।
4. मंडी सचिव द्वारा सत्यापन उपरांत पोर्टल पर स्टॉक अपडेट हो जाएगा।
5. वजन/मात्रा में वृद्धि की स्थिति में बढ़ी हुई मात्रा पर नियमानुसार मंडी फीस देय होगी जोकि पोर्टल पर Auto Calculate होगी। (कृषि उपज के मॉडल रेट अनुसार) इसके लिये पोर्टल पर प्रावधान किया जाएगा।
6. वजन/मात्रा में कमी की स्थिति में मंडी फीस, कृषि उपज के मूल वजन/मात्रा की (कमी की प्रविष्टि के पूर्व कुल मात्रा) पर ही नियमानुसार देय होगी। घटी हुई मात्रा/कम की गई मात्रा पर मंडी फीस वापसी का/मंडी फीस में छूटके संबंध में व्यापारी का कोई भी दावा मान्य नही किया जाएगा।

कृपया उपरोक्त विचाराधीन कार्यवाही पर अपना स्पष्ट अभिमत दो दिवस में उपलब्ध कराने का कष्ट करें ताकि पोर्टल पर प्रावधान कराया जा सकें।

21/10/24

संयुक्त संचालक (नियमन)
म प्र राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल